

(56)

RTP-6

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि / 3 / 2010पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :— 01.07.2011

आयुक्त,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय :— राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 — ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्शियल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम्स इन प्राइवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टर क्षेत्रफल तक) में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 15 प्रतिशत भूखण्ड/आवास आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य सरकार को टाउनशिप ड्वलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान व अन्य संस्थाओं से ज्ञापन प्राप्त हुये हैं, जिसके आधार पर उक्त पॉलिसिज में निम्न संशोधन राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है :

1. 2 हैक्टर से अधिक क्षेत्रफल की प्लॉटेड ड्वलपमेन्ट की योजनाओं में न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 15 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए आरक्षित करने बाबत।
2. ग्रुप हाउसिंग की 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. उपलब्ध कराने हेतु अथवा मूल योजना के अलावा नगरीय सीमा के अन्दर किसी अन्य अनुमोदित स्थान में उपलब्ध कराने के विकल्प बाबती।

उक्त बिन्दुओं पर निर्णय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुये यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त संशोधित प्रावधानों की अपेक्षा में प्राप्त होने वाले ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र का अनुमोदन रोका नहीं जावें। अनुमोदन करते समय विकासकर्ता से विधिक शपथ-पत्र ले लिया जावें कि उक्त संबंध में राज्य सरकार का निर्णय विकासकर्ता पर बाध्यकारी होगा तथा राज्य सरकार के निर्णय के पश्चात् निर्णयानुसार विकासकर्ता ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास निर्धारित संख्या में उपलब्ध करायेगा व राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना नहीं करने पर अनुमोदित मानचित्र निरस्त माने जायेंगे तथा किया गया निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में मानते हुये धरत किया जा सकेगा।

ह.  
(गुरदयाल सिंह रांधु)  
प्रमुख शासन सचिव